

नारीख दिवस उपखण्ड अधिकारी पु. वि. 14/25 का प्र. 14  
 हुक्म पदेन सहायक कलेक्टर हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियलम जज  
 कोडा (भिलगाडा) बेसा सुनार 40/पु.सहा

नम्बर व तारीख  
 अहकाम जो हुम  
 हुक्म की तापील  
 में जारी हुए

10/12/25

उभय पक्ष उपस्थित होने पर कार्य को बाहर है। अवकाश पर है/मुद रिक्त है।  
 अंक बत्रावली दिनांक 10/12/25 का पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी करेडा

10/13/25

पत्रावली पेश हुई अभिभावकमण द्वारा न्यायिक  
 कार्य रवाना का बहिस्कार रात को पेश हो।  
 दिनांक... 10/14/25 का पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी करेडा

7/14/25

उभय पक्ष उपस्थित होने पर कार्य को बाहर है। अवकाश पर है/मुद रिक्त है।  
 अंक बत्रावली दिनांक 7/14/25 का पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी करेडा

12/5/25

पत्रावली पेश हुई 7 वकील वकील  
 उप. पु. कला में प्रविषी सरख्या 01/2  
 उपस्थित पु. कला में प्रविषी सरख्या  
 02 का पु. में पेश हुआ जवाब आता  
 दिनांक को शा. का. 01 पेश हुआ प्रविषी  
 सरख्या 01 जवाब पेश नहीं कला  
 चाहते हैं जवाब स. 2 किया जाता है  
 प्रविषी सरख्या 02 में पु. कला में प्रविषी  
 ल. प्रविषी सरख्या के आचार पर सुनवाई  
 का अग्रिम कार्यवाही किये जाते का  
 निकेतन किया, प्रविषी सरख्या 02 का  
 प्रविषी सरख्या एवं प्रविषी सरख्या का निकेतन  
 स्थिति किया जाकर उप. पु. कला की सहा

उपखण्ड अधिकारी पदेन  
 सहायक कलेक्टर करेडा

| तारीख<br>हुक्म | न्यायालय उपखण्ड अधिकारी<br>हुक्म या कार्यवाही मय इन्जीनियरिंग<br>करेडा (मीलवाडा)  | नम्बर व तारीख<br>आह्वान जो इस<br>हुक्म की तारीख<br>में जारी हुए,   |
|----------------|---|--|
|                | <p>           २३ नवंबर, बरतन के कोषण व कीलुवाडी<br/>           में कारखाने में लगे हुए तन्वियों को दोहराते<br/>           हुए वाडी का वाड हकीम किये जाते<br/>           का निवारण किया एवं पट्टा बारी धारा<br/>           ७। केनोटेस करिमात अमावसी एवं सप्तम<br/>           मस्य - ६ दिनांक ११/०१/२००४ सप्तम<br/>           साकार जिला कार्यालय मीलवाडा के<br/>           तन्वियात्मक मस्य पंचनामा मय नजरी नम्बर ११<br/>           आडी पेश का निवारण किया कि वाड<br/>           गृह आपत्तिपत्र तत्कालिन स्यादेंडाए वाड<br/>           आदि पट्टा से कब्जा सुपुर्क किया<br/>           गया जब से ही वाडिण कायिण<br/>           होकर उपयोग उपयोग कर रहे हैं इस<br/>           कारण वाडी का वाड कृषि भूमि का<br/>           होने से अज्ञान के अभाविकार का<br/>           ले है इस कारण उक्त विन्दु पर<br/>           वाडी का वाड श्वरिण नदी किया जाये<br/>           वाड सुनवारी साइड के आघार पर<br/>           निर्णय किये जाने का निवारण किया<br/>           प्रकरण में एडिवाडी सरख्या ०२ में कोषण<br/>           बरतन कयण किया कि वाडगृह आपत्तिपत्र<br/>           परमाणु में वन विभाग के नाम उक्त निजी<br/>           है एवं वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम<br/>           १९८० एवं संशोधन १९८९ प्रभावी होने से<br/>           बिना आर साकार की मस्य के वन भूमि         </p> | <p>           ११/०१/२००४<br/>           नजरी नम्बर ११         </p> |

उपखण्ड अधिकारी पदेन  
 सहायक कलक्टर करेडा

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| नारी-सहायता<br>पदेन<br>हुसैन | न्यायिक अधिकारी<br>सहायक कलक्टर<br>करंडा (बीलगाड) | नाम व पद<br>उपखण्ड नारी सुस<br>हुसैन की नारी सुस<br>में जारी हुए |
|------------------------------|---|--|

खदबान नदी किना जा बाकला मानीपु  
 अर्थात् न्यायालय द्वारा १०/११/२००२/२००२  
 ही एन एच गोदावरगन कृतान गाए  
 कांश विदेश १२/१२/१९९६ में वन अधि  
 को गोरवन अधि में वन अधि को  
 गोरवन अधि में वन अधि में न्यायालय  
 न्यायालय किने जाने पर प्रविष्टि किना  
 गया है एवं राजस्व रिपोर्ट में इनका  
 होने के पश्चात् किना न्यायालय न्यायालय  
 के किना रिपोर्ट के परिपत्र की अधि  
 नी है एवं अधिगत के अधिगत एवं  
 अधिगत का गयी होने से वनी के वन  
 को अधिगत पर अधिगत किना जाये।  
 उपाय की वदन अधिगत वधि वदन पर  
 मगत किना गया पराधी पर उपलब्ध  
 कृषिपाल व राजस्व रिपोर्ट का अधिगत  
 किना गया तत्पश्चात् न्यायालय का  
 किना मत एवं है कि वाडवाड अधिगत  
 राजस्व रिपोर्ट में वन अधिगत के रूप में  
 वन अधिगत होने से वन अधिगत  
 अधिगत १९९० के तहत उक्त वाड  
 पर न्यायालय में पेश हुआ वाड न्यायालय  
 अधिगत अधिगत अधिगत का गयी होने  
 से वाड का वाड अधिगत पर अधिगत किना  
 जाया है। वधि अधिगत न्यायालय के वाडवाड  
 कले पर स्वतंत्र शहो फावली के सध  
 अधिगत अधिगत अधिगत से कम ही। अधिगत  
 अधिगत अधिगत है।

१०/११  
 उपखण्ड अधिकारी पदेन  
 सहायक कलक्टर करंडा